(c) No such encroachments have been reported.

Rise in Water level at sea shores

997. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have launched a national integrated research project to study the apprehension regarding rise in water level at sea shores in India; and

(b) if so, what are the details thereof and by when the study is likely to be completed?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) and (b) The Government of India have initiated a national coordinated research project on:

(i) study of past data on sea level rise due to various natural factors;

(ii) the impacts of possible rise in mean sea level assuming the average rise as predicted by experts.

The studies would be completed in about two year time.

"वृक्षारोपण के लिये केन्द्रीय सहायता"

998. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को किस प्रकार की सहायता दे रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जेड० आर० अन्सारी) : (क) विकेन्द्रित जन पौधशाला तथा सिन्वी चरागाह विकास की केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अन्तर्गत किसानों द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड स्वैच्छिक एजेंसियों को पौधशाला उगाने तथा किसानों को वृक्षारोपण के लिए भी अनुदान देती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत मुफ्त या रियायती दर पर पौधवितरण, पौधशालाएं उगाने व वृक्षारोपण हेतु तकनीकी सलाह, प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्यकलापों आदि के लिए सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग) वनीकरण कार्यक्रम के लिए योजना प्रस्तावों पर प्रत्यक वर्ष विचार किया जाता है। सातवीं योजनावधि के दौरान सामाजिक वानिकी सहित सभी वनीकरण कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों हेतु कुल आबंटन तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

वर्ष	आबंटन (करोड़ रुपयों में)	उपलब्धि (पौध संख्या करोड़ों में)
1985-86	384.94	302.00
1986-87	492.49	352.37
1987-88	540.83	355.11
1988-89	620.00	393.23 (फरवरी, 89 तक)
1989-90	702.00	540.00 (लक्ष्य)